न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अनिता धेतरवाल आर.ए.एस.

न. मु. 6/2024

1 किशनलाल पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति</u>

उपस्थित

1 प्रार्थी स्वयं

2 पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :–20/02/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम ढ़ढेरू भांभूवान में खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 3.7307 हैक्टेयर मुझ खातेदार किशनलाल पुत्र मोटाराम की खातेदारी का है जो राजस्व रेकार्ड में श्रीकिशन पत्र मोटाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में मेरा नाम किशनलाल पुत्र मोटाराम दर्ज है। मै प्रार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा में अपना किशनलाल पुत्र मोटाराम शुद्ध करवाना चाहता हूँ उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 347 रोही ढ़ढेरू भांम्भवान तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर 347 रोही ढ़ढेरू भांम्भूवान में स्थित है जिसका श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्ध करने की अनुंशषा की है।

लगातार...2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही ढ़ढेरू भांभूवान के खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 3.7307 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार श्रीकिशन पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) शुद्ध किया जाकर किशनलाल पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज किये जावे। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20–2–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner